



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 276/2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य अपीलकर्ता

बनाम

मोहित दीक्षित एवं अन्य

.... प्रत्यर्थीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: वी.पी. नाग (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: संजय कुमार सिंह

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति

1. अपील 264 दिनों से वर्जित है। विलंब क्षमा के लिए एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया है।
2. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रार्थना पत्र में बताए गए कारणों के आधार पर, इसे स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
3. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 7436/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और अपीलकर्ता संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2024 तथा अपीलकर्ता संख्या 5 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2020 को निरस्त कर दिया गया है।
4. याचिका जिला विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा पारित दंड आदेश दिनांक 31.08.2020 की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी पर संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया था और मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2024, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।
5. प्रत्यर्थी को एक आरोप पत्र जारी किया गया था जिसमें जांच अधिकारी ने 16.03.2020 को जांच आख्या दी और किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं पाया।
6. अनुशासनिक प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19.03.2020 द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि जांच आख्या तथ्यों पर आधारित नहीं थी और अधूरी थी, और दूसरे जांच अधिकारी को नियुक्त किया तथा नई आख्या मांगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. दूसरे जांच अधिकारी ने भी 08.07.2020 को जांच आख्या प्रस्तुत की और आरोपों को सिद्ध नहीं पाया।
8. अनुशासनिक प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2020 द्वारा यह दर्शाते हुए कि आख्या को पढ़ने के बाद प्रत्यर्थी को उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करने, मनमाने ढंग से शासकीय कार्य करने और कार्यालय को गुमराह करने का दोषी पाया गया, संचयी प्रभाव से एक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया।
9. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपील दायर की गई जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 07.06.2024 द्वारा खारिज कर दिया।
10. व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 ('नियमावली, 1999') के नियम 9 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पारित आदेशों की वैधता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की गई थी।
11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद आदेशों को नियमावली, 1999 के नियम 9 के प्रावधानों के उल्लंघन में पाया और परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेशों को निरस्त कर दिया।
12. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का आक्षेपित आदेशों को निरस्त करना उचित नहीं था। यह तर्क दिया गया कि यदि नियमावली, 1999 के प्रावधानों के अनुपालन न करने के कारण आदेशों को निरस्त किया गया था, तो मामले को उस चरण पर वापस भेजा (रिमांड किया) जाना चाहिए था जहाँ गैर-अनुपालन हुआ था और आदेशों को पूरी तरह निरस्त करना उचित नहीं था।
13. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।
14. हमने किए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
15. स्वीकार्य रूप से, दोनों जांच अधिकारियों ने एक के बाद एक प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 31.08.2020 द्वारा केवल निम्नानुसार अवलोकन किया:

"आचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बी०के०टी० लखनऊ / जांच अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 193 दिनांक 08.07.2020 द्वारा जांच आख्या प्रेषित की गयी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या का अवलोकनोपरान्त पाया गया कि श्री दीक्षित उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करने, मनमाने ढंग से शासकीय कार्य करने एवं कार्यालय को गुमराह करने के दोषी है।

अतः श्री मोहित दीक्षित, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करते हुए श्री मोहित दीक्षित को विकास खण्ड माल में तैनात रखते हुए निम्न दण्ड के साथ अन्तिम रूप से सवेतन बहाल किया जाता है:-

1-श्री दीक्षित की एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकी जाती है।"

16. यह देखा जाएगा कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच आख्या का संदर्भ दिया है और यह भी संकेत नहीं दिया है कि जांच अधिकारी ने किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं पाया है और प्रत्यर्थी को आरोपों का दोषी बताते हुए दंड अधिरोपित कर दिया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17. नियमावली, 1999 का नियम 9(2) प्रावधान करता है कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी किसी आरोप पर जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, तो वह दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उस पर अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज करेगा और उप-नियम (4) के तहत, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय है कि आरोपित सरकारी सेवक पर नियमावली, 1999 के नियम 3 में निर्दिष्ट कोई भी दंड अधिरोपित किया जाना चाहिए, तो उसे आरोपित सरकारी सेवक को जांच आख्या की एक प्रति और उप-नियम (2) के तहत दर्ज अपने निष्कर्ष देने होंगे और यदि वह चाहे तो एक उचित निर्दिष्ट समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करनी होगी।
18. स्वीकार्य रूप से, नियमावली, 1999 के नियम 9 के उप-नियम (2) और (4) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है, बल्कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया गया है; न तो कोई कारण दर्ज किए गए और न ही प्रत्यार्थी को कोई नोटिस जारी किया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने वैधानिक नियमों के उल्लंघन की परवाह नहीं की और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, इसलिए विद्वान एकल न्यायधीश का आक्षेपित आदेशों को निरस्त करना उचित था।
19. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि मामले को उप-नियम (2) के तहत कारण दर्ज करने और उप-नियम (4) के तहत अपनी असहमति का नोटिस देने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को वापस भेजा जाना चाहिए था, रिमांड की उक्त स्थिति उस मामले में उत्पन्न हो सकती है जहाँ यह पाया जाए कि यद्यपि अनुशासनिक प्राधिकारी ने असहमति के अपने कारण दर्ज किए हैं, लेकिन दंड अधिरोपित करने से पहले नोटिस जारी नहीं किया है। हालाँकि, ऊपर उद्धृत आदेश से यह देखा जाएगा कि आक्षेपित आदेश दिनांक 31.08.2020 में असहमति के लिए नाम मात्र का भी कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है और इसलिए, अब असहमति का नया आदेश पारित करने और फिर नोटिस जारी करने के लिए मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को वापस भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।
21. अपील में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

ए.एच.ए.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"